न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना
पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 96/2020
प्रार्थी

कुन्दनमल पुत्र हीराराम जाति जीनगर निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगणः–

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
1. **श्री खीमाराम आकबल अधिवक्ता प्रार्थी**

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 30.07.2021

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी खेत सरहद मौजा सिवाना पटवार मण्डल सिवाना में खेत खसरा संख्या 760 रकबा 2.3270 हैक्टयर की भूमि आई हुई है। प्रार्थी के सभी सरकारी अर्द्व सरकारी दस्तावेजात यथा राशनकार्ड,आधारकार्ड,जन आधार ,पेनकार्ड, व मतदाता परिचय पत्र इत्यादि में प्रार्थी का नाम कुन्दनमल पुत्र हीराराम दर्ज है। ग्राम पंचायत सिवाना पंचायत समिति सिवाना जिला बाडमेर द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी प्रार्थी का सही नाम कुन्दनमल पुत्र हीराराम अंकित है। प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतो की भूमि में कनीराम नाम दर्ज होने से सराकरी सेवाओं एंव ऋण इत्यादी में भारी परेशानी रहती हैं कानाराम व कुन्दनमल नाम से दोनो ही व्यक्ति एकमात्र प्रार्थी स्वंय है जिससे राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई गलती को सुधार किया जाना अत्यन्त ही आवश्यक होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय श्री में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को नोटिस जारी किये गया। विप्रार्थी को नोटिस तामिल सुदा प्राप्त । वादग्रस्त भूमि के खातेदार गणपतलाल पुत्र हीराराम ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष प्रदान किये जाने बाबत् सहमति जाहिर की ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.09.03 12:45:12 IST
Reason: SelfAttested

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी । प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थी का नाम राजकीय दस्तावेजात के आधार पर कनीराम पत्र हीराराम के स्थान पर कुन्दनमल पुत्र हीराराम किये जाने हेतु निवेदन किया ।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का गहराई से अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजकीय दस्तावेजात यथा राशनकार्ड, आधारकार्ड, जन आधार,पेनकार्ड, व मतदाता परिचय पत्र दस्तावेजात इत्यादि में प्रार्थी का नाम कुन्दनमल पुत्र हीराराम दर्ज हैं । ग्राम पंचायत सिवाना द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी यह अंकित है कि कनीराम व कुन्दनमल दोनो एक ही व्यक्ति है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि सरहद मौजा सिवाना पटवार मण्डल सिवाना में खेत खसरा संख्या 760 रकबा 2.3270 हैक्टयर भूमि में अंकित अशुद्ध नाम "कनीराम पुत्र हीराराम " के स्थान पर " कुन्दनमल पुत्र हीराराम " शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सिवाना आदेश की पालना एक माह में कर पालना रिर्पोट भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक .30.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (S.D.O) सिवाना
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.09.03 12:45:12 IST
Reason: SelfAttested